न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 251/2022

बंजरगलाल उम्र 67 साल पुत्र श्री दयालचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 10 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर हाल निवासी 5 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

—— प्रार्थी

—:बनाम:—

1. बंशीधर उम्र 61 साल पुत्र श्री दयालचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी 10 ए छोटी तहसील श्री गंगानगर हाल निवासी 5 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. सदानन्द उम्र 55 साल पुत्र श्री दयालचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 10 ए छोटी तहसील श्रीगंगानगर हाल निवासी 18 एल.जी.डब्लयु. तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. श्रीमति धनवन्ती देवी उम्र 63 साल पत्नी स्व. श्री रामकुमार पुत्र श्री दयालचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 10 ए छोटी हाल निवासी ढाकावाली ढाणी पोस्ट आफिस नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. वेदप्रकाश उम्र 38 साल पुत्र स्व. श्री रामकुमार पुत्र श्री दयालचन्द जाति ब्राह्मण निवासी 10 ए छोटी हाल निवासी ढाकावाली ढाणी पोस्ट आफिस नेतेवाला तहसील व जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)
5. पवन उम्र 32 साल पुत्र स्व. श्री रामकुमार पुत्र श्री दयालचन्द जाति श्ब्राह्मण निवासी 10 ए छोटी हाल निवासी ढाकावाली ढाणी पोस्ट आफिस नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
6. रेणू उम्र 40 साल पुत्री स्व. श्री रामकुमार पत्नी श्री बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण अर्जनसर तहसील लुणकरणसर जिला बीकानर (राजस्थान)
7. मन्जू उम्र 36 साल पुत्री स्व. श्री रामकुमार पत्नी श्री हनुमानप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर–29 गली नम्बर 04 वार्ड नम्बर 28, बसन्ती चौक सहयोगनगर श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)
8. सरोज उम्र 34 साल पुत्री स्व. श्री रामकुमार पत्नी श्री नरेश शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के पास वार्ड नम्बर 02 गोलूवाला निवादान चक 2 एच डी पी रोड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लिखमीसर जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजीव आहुजा —— प्रार्थी
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी संख्या 10

—:: निर्णय :—

दिनांकः— 08/10/2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.09 10:06:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री संजीव आहुजा [illegible] की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें सं[illegible] बाद श्रीमान के न्यायालय में वादी के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है [illegible] को पुरी पुरी आशा है। यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 स्वंय के नाम से व अप्रार्थी संख्या 3 के पति तथा अप्रार्थी [illegible] 4 ता 7 के पिता स्व.श्री रामकुमार के नाम से संयुक्त खाता की [illegible]षि भुमि वाके तहसील पी[illegible] के चक नम्बर 5 एस जी आर के वर्तमान खाता संख्या 97/103 के प.न. 5/305 (10) किला नम्बर 11 ता 14/1.012, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24/2.024

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

संयुक्त खाता की उक्त भुमि मे मिन प्रार्थी का 217/759 हिस्सा यानि 1.085 हैक्ट. राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण का आपस में घरेलू तौर से बंटवारा हो चुका है तथा इस कदर मिन प्रार्थी के हक व हिस्सा मे निम्न प्रकार से भुमि प्राप्त हुई है :-

(अ) यह कि तहसील पीलीबंगा के चक नम्बर 5 एस जी आर के वर्तमान खाता संख्या 97/103 के प.न. 5/305 (10) किला नम्बर 11/0.215, 12/0.215, 13/0.215, 14/0.215, 15/0.225 कुल 1.085 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला (किला नम्बर 6, 7, 8, 9, 10 के चिपती हुई) कृषि भुमि प्राप्त हुई है। जो कि अच्छी मन्दी व खाला और रास्ता की सुविधा अनुसार प्राप्त हुई है। जिसमें मिन प्रार्थी ने काफी सुधार आदि किया है तथा काफी रकम खर्च करके कास्त योग्य बनाया हुआ है।

उक्त भुमि में से अप्रार्थीगण बिना विधिक बंटवारा करवाये उक्त भुमि को मात्र अपने-अपने हिस्सा के हिसाब से ही अन्य मुमाफिया को विक्रय करने की फिराक में है परन्तु उक्त बंटवारा मे मिली भुमि का कब्जा मिन प्रार्थी के पास है तथा बिना विधिक बटवारा करवाये जाने के कारण उक्त भुमि में दर्ज भुमि को रहन-बैय करने से मिन प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरमायी सम्भव नही है ।

प्रार्थी उक्त में अपने हक व हिस्सा की भुमि तथा उक्तानुसार बंटवारा मे प्राप्त भुमि का खाता विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है तथा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। चुकि उक्त भुमि मौका पर मिन प्रार्थी के कब्जा कास्त मे है व काफी रकम खर्च कर इसमे सुधार किया है इस कारण प्रथम दृष्टया मामला मिन प्रार्थी के पक्ष मे तथा उक्त भूमि मौका पर मिन प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण सुविधा का सन्तुलन मिन प्रार्थी के पक्ष मे है तथा इसी क्रम मे यदि बिना विधिक बंटवारा करवाये प्रतिवादी किसी अन्य को रहन बैय करने व राजस्व रिकार्ड मे फेरबदल करने के अपने मनुसबो मे कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी इस प्रकार तीनो आधार मिन प्रार्थी के पक्ष मे है ।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित भुमि को किसी को रहन बैय नही करे तथा राजस्व रिकार्ड मे किसी भी प्रकार से फेरबदल नही करे व उक्त भुमि मे लगे पेड़ आदि ना काटे तथा किसी को विक्रय नही करे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद सरिस्ता रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला बनने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया है कि चक नम्बर 5 एसजीआर के वर्तमान खाता संख्या 97/103 के प.न. 5/305 (10) किला नं. 11 ता 14/1.012, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 24/2.024, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला को रहन बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.09 10:06:23 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी 2 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री हाजिर आये एवं अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6 ता 8 के नोटिस की तामिल प्राप्त होने पर भी हाजिर नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ,3, 4, 6 ता 8 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अप्रार्थी संख्या 2 व 5 का जवाब भी अनेक अवसर दिये जाने पर भी प्रस्तुत नहीं होने पर बंद किया गया है। स्टेट जवाब हेतु अनेक अवसर देने पर भी प्राप्त नही स्टेट जवाब बंद किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बहस उभय पक्ष पर भलीभांति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश अनवरत किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और बिना विभाजन के उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है अप्रार्थी रिकोर्डेड खातेदार है। उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेश अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेश अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेश आज दिनांक 08/10/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.09 10:06:23 IST
Reason: SelfAttested